

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सिविल इंजीनियरी प्रभाग

ट्राम्बे,
मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं: बीएआरसी/सीईडी/ईटी/23/2024-2025 दिनांक 19/09/2024

I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'- वित्तीय बोली) में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

i)	कार्य का नाम	:	बीएआरसी, ट्राम्बे, मुंबई में हिरोप भवन और अन्य समुद्र किनारे की इमारतों की संरचनात्मक मरम्मत, पेंटिंग और विविध सिविल कार्य।
ii)	कार्यस्थल /पिन कोड	:	बीएआरसी, ट्राम्बे, मुंबई
iii)	कार्य /उत्पाद श्रेणी	:	कार्य
iv)	आमंत्रित अधिकारी	:	मुख्य अभियंता, सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग
v)	आमंत्रित अधिकारी का पता	:	सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई-400 085
vi)	अनुमानित लागत (जीएसटी के बिना)	:	₹ 77,57,000/-
vii)	बयाना राशि	:	₹ 1,83,065/-
viii)	निविदा दस्तावेज की लागत	:	शून्य
ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	:	शून्य
x)	कार्य की अवधि	:	487 (चार सौ सत्तासी) मानसून अवधि सहित कैलेंडर दिन

(xi)	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए प्रारंभ/अंतिम तारीख तथासमय	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइटपरदिनांक07.10.2024(17.:00 बजे)सेदिनांक04.11.2024 15:00 बजे)तक।विस्तृतएनआईटीकेवलदेखनेकेलिए वेबसाइट www.भापअकेन्द्र.gov.in या https://eprocure.gov.in/cppp/relatedlinks/ भापअकेन्द्रपरजाएं।
(xii)	स्पष्टीकरणकी प्रारंभ तारीख तथा समय	: 07.10.2024 (17:00 बजे)
(xiii)	स्पष्टीकरणकी अंतिम तारीख तथा समय	: 16.10.2024 (17:00 बजे)
(xiv)	साइटयात्रा की तारीख तथा समय	: 16.10.2024 (17:00 बजे) कोयाउससेपहले
(xv)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख तथासमय	: -
(xvi)	बोली-पूर्वबैठककापता	: -
(xvii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीप्रारंभतारीखतथासमय	: 18.10.2024 (11:00 बजे)
(xviii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीअंतिमतारीखतथासमय	: 04.11.2024 (15:00 बजे)
(xix)	बयाना राशि, जमा तारीख, समयतथाभेजने का पता।	: 06.11.2024 (15:00 बजे) कोयाइससेपूर्वमात्राअनुभागकार्यालयमें, कमरानंबर 203 , पहलीमंजिल, सीईडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई 400085 यानॉर्थगेटएगजिटपोर्टल (संपर्कनंबर 022 2559 3119) केग्राउंडफ्लोर (सीढ़ीकेपास) मेंसीईडीकार्यालयमेंरखेड्रॉपबॉक्समें) एकसीलबंदलिफाफेमेंमुख्य, मात्राअनुभाग, सीईडी, कार्यकानामऔरएनआईटीसंख्याकाउल्लेखकरतेहुएसंबोधितकरतेहुएलिफाफेमें।मूलदस्तावेजोंकोवरीयत: व्यक्तिगतरूपसेप्रस्तुतकरें।तथापि , डाकअथवाकूरियरद्वाराभेजेगएदस्तावेजोंपरभी विचारकियाजाएगाबशर्तेदिवेनिर्धारिततारीखएवं समयसेपहलेप्राप्तहोजातेहैं।
(xx)	बोली खोलने का समय/ ऑनलाइन भाग क खोलने की तारीख एवं समय	: 08.11.2024 (15:30 बजे)।
(xxi)	बोली खोलने का स्थान	: सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग, भाभापरमाणुअनुसंधानकेंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085
(xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	: निविदादस्तावेजकेअनुसार
(xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग	: शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचेवेबसाइटपर

	ख) खोलने की तिथि	बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा https://eprocure.gov.in/eprocure/app
xxiv	निविदा की वैधता (दिनों तक)	: 180(एकसौअस्सी)

II. आरंभिकपात्रता मानदंड:

i) बोलीकर्ता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोली लगाने वाले को विषय निविदा में प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट - डी देखें) बोली के साथ अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी।

ii) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोली पूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोली पूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(क)

निविदा खोलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीय कृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम ₹36.61 लाख के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र।

(ख)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम ₹91.53 लाख होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित होना चाहिए।

- (ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात् लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए ।
 किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।
- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है ।
- (च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (छ) स्थायी खातासं (पेन) ।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹36.61 लाख के लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹54.92 लाख के लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹73.23 लाख के लागत के इसी प्रकार का 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो । निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/ केंद्रीय स्वायत्तक निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा । प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक से बोलीकर्ता को भुगतान की पुष्टि करें।

इस प्रयोजन हेतु

“कार्य की लागत”

का तात्पर्य है पूरे कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं,

लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य “प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के लिए गैर-विनाशकारी परीक्षण की वस्तु वाले किसी भी प्रकार का सिविल कार्य।” समान कार्य भारत में निष्पादित किया हुआ होना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्त की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।
5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता का हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा ।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां A =पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा । पुरे किए गए कार्यों के मूल्य को 7% की वार्षिक सामान्य दर पर बढ़ाते हुए वर्तमान लागत पर लाना होगा।

N =जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्याक ।

B =विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य ।

बोली क्षमता की गणना बोली कर्ता द्वारा समर्थक डेटा के साथ किया जाएगा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन के दौरान काम पूरा होने/कार्य प्रदान के कारण उपरोक्त बोली क्षमता में परिवर्तन की सूचना भी बोलीकर्ताओं द्वारा दी जाएगी।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए ।

III. सूचना :

7. निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थातभाग 'क' निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थातभाग 'क' (तकनीकीबोली) एवंभाग 'ख' (कीमतबोली) मेंतैयारकियागयाहै।भाग 'क' में : खंड I- सूचनाई-टेंडरआमंत्रित (अंग्रेजीऔरहिंदीसंस्करण)खंड II- अनुबंध, जापन, केमार्गदर्शनकेलिएसमझौतेकेद्वितीयप्रपत्रऔरसामान्यनियमऔरनिर्देश, खंड III- अनुबंधकीसामान्यशर्तें, अतिरिक्तशर्तें, खंड IV-निविदाकारोंकेलिएविशेषनिर्देश, खंड V- तकनीकीविनिर्देश, खंड VI-निविदाचित्रकीसूची, खंड VII-अनुसूचीए (विभागद्वारापूर्तिकीजानेवालीसामग्रीकीअनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शनसुरक्षाकेलिएबीजीबॉन्डकारूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षितअग्रिमकेलिएइंडेंट्योर (सिविलनिर्माणकार्यकेलिएलागू), परिशिष्ट 'डी'- वॉटरपुफिंगकार्योंकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), परिशिष्ट 'ई' - दीमकविरोधीउपचारकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), अनुलग्नक 'ए'- मानवशिक्षितऔरमशीनरीकाविवरण, निविदादस्तावेजोंकेसभीशुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माणसामग्रीकेअनुमोदितनिर्माताकीसूची (सिविलकार्योंकेलिएलागू) औरअनुसूचियों 'ए' से 'एफ' काप्रोफार्मा।भाग 'ख'(वित्तीयबोली) मेंअनुसूची 'बी'- मात्राओंकीअनुसूचीशामिलहै।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।

निविदा दस्तावेजों www.barc.gov.in की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्य, जन उक्तस दस्तावेजों को वेबसाइट •Tenders and NITs•Other Information से निःशुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते। को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा

दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज ही मिल सकता है।

IV. सीपीपी वेबसाइट में ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए , संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Calss III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने , आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है

[:https://eprocure.gov.in/eprocure/app](https://eprocure.gov.in/eprocure/app)

8. पंजीकरण:

- i. बोलीकर्ताओंकोसीपीपीपोर्टलपर "ऑनलाइनबोलीकर्तानामांकन" लिंकपरक्लिककरकेकेंद्रीयसार्वजनिकप्रापणपोर्टल (यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) केई-प्रोक्योरमेंटमाँड्यूलपरनामांकनकरनाआवश्यकहै।पोर्टलजोनि:शुल्कहै ।
- ii. नामांकनप्रक्रियाकेभागकेरूपमें, बोलीकर्ताओंकोएकविशिष्टउपयोगकर्तानामचुननाहोगाऔरउनकेखातोंकेलिएएकपासवर्डअसाइनकरें ।
- iii. बोलीकर्ताओंकोसलाहदीजातीहैकिवेपंजीकरणप्रक्रियाकेहिस्सेकेरूपमेंअपनावैधईमेलपताऔरमोबाइलनंबरपंजीकृतकरें।इनकाउपयोगसीपीपीपोर्टलसेकिसीभीसंचारकेलिएकियाजाएगा।
- iv. नामांकनकेबाद, बोलीकर्ताओंकोअपनेप्रोफाइलकेसाथसीसीएंडडिया (जैसेसिफी / एनकोड / ईमुद्राआदि) द्वारामान्यताप्राप्तकिसीभीप्रमाणनप्राधिकरणद्वाराजारीअपनेवैधडिजिटलहस्ताक्षरप्रमाणपत्र (हस्ताक्षरकुंजीउपयोगकेसाथतृतीयश्रेणीकेप्रमाणपत्र) कोपंजीकृतकरनेकीआवश्यकताहोगी ।
- v. एकबोलीदाताद्वाराकेवलएकवैधडीएससीपंजीकृतकियाजानाचाहिए।कृपयाध्यानदेंकिबोलीकर्तायहसुनिश्चितकरनेकेलिएजिम्मेदारहैंकिवेअपनेडीएससीकोदूसरोंकोउधारनहींदेतेहैंजिससेदुरुपयोगहोसकताहै ।
- vi. बोलीकर्तातबसाइटपरसुरक्षितलॉग-इनकेमाध्यमसेअपनायूजरआईडी/पासवर्डऔरडीएससी/ई-टोकनकापासवर्डदर्जकरकेलॉगइनकरताहै ।

9. निविदादस्तावेजोंकीखोज:

- i. विविधमानककेअनुसारसेसयनिविदाकीखोजमेंबोलीकर्ताकीसहायताकेलिएसीपीपीपोर्टलमेंखोजके कईविकल्पउपलब्धकरवाएगएहैं।इनमानकमेंनिविदाआईडी , संगठनकानाम, स्थान, तारीख, मूल्यइत्यादीशामिलहैं।निविदाओंकीप्रगतखोजकेलिएभीएकविकल्पहैजिसमेंबोलीकर्ताएकसेअधिक मानकोंजैसेकिसंगठनकानाम, संविदाकाप्रकार, स्थान, तारीखअन्यकी- वर्डइत्यादीकोलतेहुएसीपीपीपोर्टलपरप्रकाशितनिविदाकीखोजकरसकतेहैं।
- ii. जिसनिविदामेंबोलीकर्ताकीरुचीहै, उसकेचयनकेपश्चात , वेआवश्यकदस्तावेजनिविदासमयसारणीडाउनलोडकरसकतेहैं।इननिविदाकोसंबंधित 'My Tenders' नामकफोल्डरमेंसंचितकियाजासकताहै।इसकेफलस्वरूप , निविदादस्तावेजमेंशुद्धीपत्रजारीकिएजानेकीस्थितिमेंसीपीपीपोर्टलकीओरसेएसएमएस/ ई-मेलकेमाध्यमसेबोलीकर्ताकोसूचनाप्रेषितकीजासकेगी।
- iii. बोलीकर्ता, प्रत्येकनिविदाकोप्रदानकीगईयूनीकनिविदाआईडीकोनोटकरलेताकिहेल्पडेस्कसेस्पष्टीकरण/ सहायता, यदिआवश्यकहो, तोवहसुगमतासेप्राप्तहोसके।

10. बोलियोंकीतैयारी :

- i. बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेजकेसंबंधमेंप्रकाशितशुद्धीपत्रमेउल्लिखितबिंदुओंकोध्यानमेंरखतेहुएनि विदादस्तावेजप्रस्तुतकरनेचाहिए।
- ii. कृपयाबोलीकेएकभागकेरूपमेंप्रस्तुतकिएजानेवालेदस्तावेजोंकोसमझनेकेलिएनिविदाविज्ञापनएवंनि विदादस्तावेजकोध्यानसेपढ़ले।कृपयाबोलीदस्तावेजोंकोप्रस्तुतकरनेहेतुलिफाफोंकीसंख्या, प्रस्तुतकिएजानेहेतुअपेक्षितप्रत्येकदस्तावेजकानामएवंविषयवस्तुसहितदस्तावेजोंकीसंख्यानोटकर ले।उक्तबिंदुसेकिसीभीप्रकारकाविचलनहोनेपरबोलीकोअस्वीकारकियाजासकताहै। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंतअस्वीकृतकर दिया जाएगा।
- iii. बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेज/समयसारणीमेंयथावर्णित, प्रस्तुतकिएजानेवालेनिविदा दस्तावेजपहलेसेहीतैयारकरकेरखलेनेचाहिएतथासामान्यतःयेदस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फॉर्मेटमेंहोसकतेहैं।बोलीनिविदा दस्तावेजब्लैकएंडव्हाइटविकल्पसहित 100 dpi केसाथस्कैनकरलिएजाएताकिस्कैनकिएगएदस्तावेजकासाइजकमहोसके।
- iv. प्रत्येकबोलीकेएकभागकेरूपमेंप्रस्तुतकिएजानेवालेमानकदस्तावेजोंकेसमानसेटकोहरबारअपलोडकर नेमेंलगनेवालेसमयएवमेहनतसेबचनेकेलिए, ऐसेमानकदस्तावेजों (उदाहरणार्थपैनकार्डकीप्रति,

वार्षिकरिपोर्ट,

लेखापरीक्षकप्रमाणपत्रइत्यादी)

कोएकबारगीअपलोडिंगकाप्रावधानबोलीकर्ताकेलिएउपलब्धकरवायागयाहै।ऐसैदस्तावेजोंकोअपलोड करनेकेलिएबोलीकर्ताउन्हेउपलब्धकराएगए “My Space” या “Other Important Documents” जैसेएरियाकाउपयोगकरसकतेहै।बोलीप्रस्तुतकरतेसमयइनदस्तावेजोंकोसीधे “MySpace” एरियासेजमा कियाजासकताहैतथाउन्हेबार-बारअपलोडकरनेकीआवश्यकतानहींहै।इसकेपरिणामस्वरूपबोलीप्रस्तुतिप्रक्रियामेंकमसमयलगेगा।

टिप्पलणी: My Documents”यहस्पेसकेवलएकसंग्रहक्षेत्रहैजोबोलीकर्ताकोअपलोडिंग प्रक्रि या में सहायताहेतुउपलब्धकरवायागयाहै।यदिबोलीकर्ताने “My Documents” स्पेस में अपनेदस्तावेजअपलोडकरदिए है, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चितनहीं हो जाती की ये दस्तावेज तकनीकीबोलीकाएकभागहोचुकेहै ।

11. बोलियोंकीप्रस्तुति :

- i. बोलियांसीपीपीवेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> परऑनलाइनप्रस्तुतकीजाएंगी।
- ii. बोलीकर्ताको, पर्याप्तसमयपूर्ववेबसाइटपरलॉगिनकरलेनाचाहिएताकिवेसमयपरअर्थातनिर्धारिततारीखकोयाउस सेपूर्वबोलीकोअपलोडकरसके।अन्यकारणसे, किसीभीप्रकारकेविलंबकेलिएबोलीकर्ताजिम्मेदारहोंगे।
- iii. निविदादस्तावेजमेंबताएगएअनुसारबोलीकर्ताकोसभीआवश्यकबोलीदस्तावेजोंपरडिजिटलहस्ताक्षरकरनेहोंगेतथाएक-एककरकेउन्हेअपलोडकरनीहोगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्कक/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्पन में “ऑफलाइन” का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यकम का विवरण भरना होगा ।
- v. बोलीकर्ता को निविदा दस्तानवेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुदति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्ता वेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यतक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्य म से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्धन विवरण एवं बोली प्रस्तुधति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यनथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को कार्यसेसंबंधितबोलीपूर्वस्पष्टीकरण, यदिकोईहो, तोउसेडाउनलोडकरनाहोगाऔरउसे (स्कैनकीगईप्रति) मोहरसहितहस्ताक्षरकेसाथअपलोडकरनाहै।संशोधितदस्तावेज (यदिकोईहो) कोउन्हेईनिविदापोर्टलपरअपलोडकरनाहोगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतकरने का यहअर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए

पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज़ के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।

- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करतथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज़ सहित मानक BOQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानो (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज़ अपलोड कर लेता कि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज़ अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए आप अकेले किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।
- ix. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदिकी समय सीमा को संदर्भित करने के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओं को बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।
- x. नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
- xi. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोली दस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

- xii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xiii. बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अर्थात् पोर्टल में "Freeze Bid Submission" क्लिक करने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य सगं विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा।
- xiv. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।
- xv. इच्छुक बोलीकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुतिके अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ताकि वे, शोधपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यतित रहें।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश, बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मर्दाना/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. बोलीकर्ताओं को सहायता:

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

शर्तें :

13. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात , निविदाआमंत्रणप्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित करसकतेहैंजिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके:-
- वित्तीय क्षमता यानीबैंकसॉल्वेंसी ।
 - पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
 - पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
 - समान कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
 - बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
 - निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज “यदि कोई हो ”।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

14. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।

- कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।
- पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पातदित कार्यों का स्व रूप।
- कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।
- विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
- समय एवं गुणवत्ताय सजगता ।
- असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।
- स्थाल नियोजन क्षमता ।
- कार्य को बैंक टू बैंक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।

15. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार , कार्यशुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

16. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी

17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।
18. भापअ केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:
- (i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना , विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है , तो भापअ केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।
- (ii) यदि भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>] और/या कार्यों की प्रापण मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्रापण के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/divisions/manual-purchase-consultancy-other-services>] का उल्लंघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भापअ केंद्र/पऊवि में किसी भी प्रापण/निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा ।
- (iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्नल प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।
19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित , यदि कोई हो , चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।

20. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुततीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से () दिनों तक वैध रखा जाएगा।
21. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
22. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी , भापअ केंद्र , मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा आईएफएससी:SBIN0001268के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है । ऐसे मामले में बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा रु. 20.00 लाख, जो भी कम हो , उक्तस निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्तर क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्यालिखी होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त। मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीकृति दस्तावेज वरीयतः व्यक्तित्व रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें पेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा ।
23. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को निविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है । 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापिस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी

पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में , तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

24. बोलीकर्ता को अपने संविदाकी उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा , ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (ढाईप्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% हो जाए। प्रतिभूति जमा ,सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी । इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा ।
25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशिको पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी कर सकते हैं।
26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं , जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है , जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।
28. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे ।
29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
30. i. (जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर केंद्र-, राज्य और अंतरराज्य-।

ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी. एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित)पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।

iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।

v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्यर के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा

vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे।

vii) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथानियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तरव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।

ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में से संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अतिरिक्त निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात , ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।
33. जिन सफलनिविदाकारों की निविदा स्वी कार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों , पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्च पर पुलिस की विशिष्टक शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र(पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युपक्तियां/ अधिसूचना प्राप्ते होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । डीईई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पड़वि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पादन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश:

34. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेनल/वर्ड फार्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास- III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है ।
36. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए । उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा । भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदारके जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली कामूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा । तब योग्यताप्राप्त सफल निविदाकारों

का निविदा का भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित की जाएगी।

37. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोली कर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इससे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोली कर्ता किसी भी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।

39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।

टिप्पणी :

निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियों की निविदा पर विचारन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

40. योग्य स्रोत देश:

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोली कर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यवस्थापन, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोली कर्ता को निविदा दस्तावेज के 'परिशिष्ट-एफ'

में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाण पत्र बोली जमा करने के समय या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारत के प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।

41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट

जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।

42. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

- I) पेशेवरचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए काविशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो ।
- II) पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए कावैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
- III) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- IV) निर्माणसंयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।
- V) तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।
- VI) प्रमाणपत्र:
 1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।
 2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र ।
 3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र ।
 4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
 5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।
- VII) बोलीकर्ताकेलेटरहेडपरवचनदेनाकि
"पात्रसमानकार्यकिसीअन्यठेकेदारकेमाध्यमसेबैंकटूबैंकआधारपरनिष्पादितनहींकिएगए हैं।
- VIII) बोलीकर्ता को भागएकेखंड II औरखंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वचनबद्धता ।
- IX) पिछलेसातवर्षोंमेंपूर्णकिएगएसमानकार्योंकीसूचीजिसमें i) एजेंसीजिसके लिएनिष्पादितकियागयाहै, ii) कार्यकामूल्य, iii) निर्धारितऔरपूराहोनेकावास्तविकसमय, iv) ग्राहकोंसेयोग्यसमानकार्योंकाप्रदर्शनप्रमाणपत्र।
- X) चालू कार्यों की सूची दर्शातीहै : i) एजेंसी ii) कार्यकामूल्य, iii) पूराहोनेकानिर्धारितसमय / वर्तमानस्थिति।
- XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाएनुसार)
- XII) किसी भी क्ला/इंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्नन कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए /समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ताइस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंनेनेऐसकोई प्रतिकूल कार्यनहीं कियाहै।
- XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकनकेदौरानलापतादस्तावेज, यदिकोईहो, निरीक्षणसमिति द्वाराप्रस्तुतकरनेकेलिएकहाजासकताहै।

43. बोलीकर्ताकोनिम्नलिखितभरनाआवश्यकहै:

- क) तकनीकीबोली
- ख) मानवशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)
- ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीयबोली)

44. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

45. पात्र स्रोत देश :

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण प्रभाग , व्यवय विभाग, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा एफ सं. 6/18/2019- PPD दिनांकित 23.07.2020 के माध्यम से जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्याक 1) तथा (सार्वजनिक प्रापण संख्याक 2) तथा उसके समय-समय पर जारी अनुशेष का अनुपालन करना होगा। साथ ही , बोलीकर्ता को परिशिष्ट- 'एफ' में दिये प्रोफार्मा के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी समय या ठेका प्रदान किये जाने के बाद यह पाया जाता है कि उक्त घोषणा या प्रमाणपत्र गलत है या त्रुटिपूर्ण है, तो भारत में संबंधित कानून के तहत अनुमेय अन्यत कार्रवाइयों सहित उक्त ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुकएजेंसियां पंजीकरणऔरबोलीजमाकरनेकेलिएवेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जासकतीहैं।
2. निविदादस्तावेजोंसेसंबंधितसहायता/स्पष्टीकरणकेलिएसंपर्ककरें-
3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
 - 2.1) २४x७ सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787
 - 2.2)लोकल हेल्पडेस्क-श्री.भूषण/श्री.मयूर02225487480
 - 2.3) email at support-eproc@nic.in
- 4.बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।
- 5.साइटविज़िटके लिएअनुरोधभेजनेके लिएईमेलआईडी
सेवामें: arun@barc.gov.in, arnabroy@barc.gov.in, ankan@barc.gov.in
प्रतिलिपि:kkayal@barc.gov.in, mpradhan@barc.gov.in, ndlikhar@barc.gov.in,
rukush@barc.gov.in
- b) सहायता/स्पष्टीकरणकेलिएसंपर्क: (022)-25593083/ 25593065/ 25593071/ 25591915/
25591941. Fax: (022)25505310

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए।

मुख्यअभियंता,
सिविलइंजीनियरीप्रभाग,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

अनुलग्न क-1

निविदा स्वीकृति पत्र
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा)

दिनांक :

प्रति,
मुख्यअभियंता,
सिविलइंजीनियरीप्रभाग,
भापअकेंद्र, ट्रांबे,
मुंबई-400 085

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी/ सीईडी/ईटी/ 2024-2025 दिनांक: 2024

निविदा/ कार्य का नाम : -

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और www.barc.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने भापअ केंद्र की वेबसाइट <http://barc.gov.in/tenders/> पर अन्य सूचना आदि खंड के तहत उपलब्ध निविदा दस्तावेजों (एएंडसीईडी निविदा दस्तावेज , अनुलग्नक/अनुलग्नकों/ अनुसूची/ अनुसूचियों, शुद्धिपत्र, नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण कार्यसंविदा इत्यादि हेतु निर्माणकार्य संरक्षा नियमावली आदि सहित) के संपूर्ण निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है।), जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों कापालन करूंगा/ करेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज /दस्तावेजों/ शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूँ /करते हैं।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्ते जानकारी सत्यक एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा।

भवदीय,
(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 2

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचन देना
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम],

व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की है सियतसे _____

[इकाई का नाम] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961

के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूँ (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं।
2. मैं/हम इससे द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206 एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 20-21 और वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार है:

मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है,

एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा _____ 206

एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हूँ/हैं।

पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ)

नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटी आर पावती संख्या
1	2021-22 / (2022-23)		
2	2022-23 / (2023-24)		

5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

ब्याज,

उपरोक्तसभीअभ्यावेदनसत्यऔरसहीहैं, औरहम/मैंइसकेसमर्थनमेंकिसीभीसमयआवश्यकसाक्ष्यप्रस्तुतकरनेकेलिएसहमतहैं।

कीओरसे_____

<<अधिकृतहस्ताक्षरकर्ताकानाम>>

<<पदनाम>>

संस्थाकानाम:

अनुलग्नक-3

फर्मों/एजेंसियोंद्वाराजीएसटीउपक्रम
(कंपनीकेलेटरहेडपरदियाजाए)

निविदा/कार्यकानाम:

प्रियमहोदय,

1. कि बोलिलगानेवालेजीएसटीकेतहतपंजीकृतहैंऔरजीएसटीप्रावधानोंकेअनुरूपहैं।
2. जीएसटीप्रावधानोंकाअनुपालनन करनेऔरकिसीभीइनपुटक्रेडिटमेंरुकावटकेमामलेमें बोलिलगानेवाला BARC कोक्षतिपूर्तिदेनेकेलिएजिम्मेदारहोगा।
3. बोलिलगानेवालेद्वारासभीइनपुटक्रेडिटBARC कोदेदिएगएहैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नकक4

बोलीदाताद्वारास्थानीयसामग्रीप्रमाणन
(कंपनीकेलेटरहेडपरदियाजाए)

निविदा/कार्यकानामः

प्रियमहोदय,

बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्ना_नुसार वचनबद्ध है :

“हम_____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्याब_____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार ‘श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता’ हेतु अर्हक होने की अनिवार्य ‘स्थानीय सामग्री (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत_____ % है। ”

बोलीलगानेवालेकेअधिकृतदिनांकितहस्ताक्षर

परिशिष्ट2-एफ
पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) , भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं। मैं/हम नियोक्तार के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने अपनी बोली के साथ उक्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया, है तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा। मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्यव कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर